महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग(मध्यप्रदेश)456010

परामर्शनीति

Consultancy Policy

परामर्श नीति

परिभाषाएं-

- विश्वविद्यालय से तात्पर्य है – महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन
- विद्यापरिषद् से तात्पर्य है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, की विद्यापरिषद्
- कार्यपरिषद् से तात्पर्य है – महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, की कार्यपरिषद्
- कुलपति से तात्पर्य है - महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, के कुलपति
- कुलसचिव से तात्पर्य है - महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, के कुलसचिव

उद्देश्य-

परामर्श-प्रक्रिया पर नीतिगत दिशानिर्देश स्थापित करने का उद्देश्य है। स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर वर्तमान परिदृश्य में परस्पर सहयोग व उपलब्ध भौतिक व बौद्धिक संसाधनों का समन्वय पूर्वक उपयोग करते हुए, संस्कृत भाषा व ज्ञान के क्षितिजों का विस्तार करने के लिये अन्य शैक्षिक, नागरिक व व्यापारिक संस्थाओं के साथ परामर्श-प्रक्रिया करने के औपचारिक नियमों का स्पष्ट होना, जिससे वर्तमान विश्व को प्राचीन संस्कृत साहित्य में निहित ज्ञान-विज्ञान से लाभान्वित हो सके। परामर्श-प्रक्रिया के माध्यम से सतत् वृद्धि को प्राप्त होते ज्ञान, अनुभव तथा विशेषज्ञता को बृहत्तर समाज को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे समाज व विश्वविद्यालय, दोनों के लिए हितकर हो।

अभियान

अभियान से तात्पर्य है विश्वविद्यालय के ऐसे दिशा निर्देश से है जिससे विश्वविद्यालय प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में निहित प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान व तकनीकी की अद्भुत उपलब्धियों के मध्य सेतु का कार्य कर सके। शताब्दियों की परतन्त्रता तथा शोषण के बाद पुनर्जागरणकाल में भारत नव ऊर्जा से ओतप्रोत तथा दृढ आत्मविश्वास के साथ अग्रसर है। इसी नव उर्जा से अपने पुरातन गौरव की पुनर् संस्थापना के लक्ष्य की दिशा में यह विश्वविद्यालय निरन्तर प्रयासरत है

परामर्श-प्रक्रिया संबन्धी दिशानिर्देश

इस नीति प्रपत्र को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन की परामर्श-प्रक्रिया के दिशानिर्देश संबन्धी नीति कहा जाएगा। समाज व हितधारकों के लाभ के लिए परस्पर लाभ वाले वातावरण में ज्ञानोत्पादन तथा विसर्जन प्रक्रिया के संवर्धन व गतिदान के लिए अन्य शैक्षिक, तकनीकी, व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ परामर्श-प्रक्रिया करते समय इस नीति का अनुपालन किया जाएगा। यह नीति विश्वविद्यालय के विभागों को भी सार्थक परामर्श प्रकियाओं व सहभागिताओं के विकास में प्रोत्साहित करेगी।

परिभाषाएं

1. परामर्शप्रक्रिया

परामर्श-प्रक्रिया वह महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके माध्यम से महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के विद्वान् अपना ज्ञान व वैशिष्ट्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यापारिक संस्थानों व सामुदायिक समूहों को उपलब्ध करवा सकते हैं।

ऐसी अन्तः क्रियाएं एक द्विमुख प्रवेशद्वार प्रदान करते हैं जिससे एक ओर अपने घटकों, संगठनों, भागों व विभागों सहित समाज को अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वोत्तम विशेषज्ञों का सर्वोत्तम व आधुनिकतम ज्ञान, अनुभव, तकनीकी जानकारी इत्यादि प्राप्त होती है, तथा दूसरी ओर जब परामर्श-प्रक्रियादाता के रूप में प्राप्त अन्तर्दृष्टि, अनुभव व सम्पर्क से तथ्य प्राप्त कर जब विद्वान् पुनः अपने अध्यापन व शोध की ओर लौटते हैं तब विश्वविद्यालय को भी धरातल पर अपने ज्ञान, वैशिष्ट्य की स्थिति ज्ञात होती है। इससे विश्वविद्यालय के विद्वान् अपना पुनः दिशा निर्धारणकरते हैं जिससे वे अपने समाजोपयोगी ज्ञान को प्रासङ्गिक बना सकें। परामर्श-प्रक्रिया में संलग्न विशेषज्ञ विद्वानों तथा विश्वविद्यालय के राजस्व की आर्थिक वृद्धि भी हो सकती है। अतः विश्वविद्यालय अपने विद्वानों को, उनके अनुबन्धों के अनुरूप, यथोचित परामर्श-प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेगा।

परामर्श-प्रक्रिया संबन्धी नीतिगत दिशानिर्देश

1. विश्वविद्यालय अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों में उपलब्ध विशेषज्ञताओं और अध्यापकवृन्द की उपलब्धियों तथा विशेषज्ञताओं को विज्ञापित करेगा, जिससे संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता के इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय से ही सम्पर्क करें।

2. विश्वविद्यालय को अपने विद्वानों व शोध छात्रों को प्राचीन भारतीय ज्ञान-परम्पराओं, विशेषकर, व्याकरण, साहित्य ,दर्शन,ज्योतिष, वैदिक ज्ञान , वास्तु , योग, वृष्टि-कृषि व ललित कलाओं के गूढतम एवं समसामयिक तथ्यों में मौलिक शोध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्वानों को अंतर्विषयी शोध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शोध साधनों व मापदण्डों के अनुसार सत्यापित करने का प्रयास हो जिससे आधुनिक वैज्ञानिकों को यह बोध हो कि प्राचीन ज्ञान वैज्ञानिक सिध्दान्तों पर आधारित हैं।

3. परिसरीय सूचना कार्यालय / सूचना अधिकारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध विशिष्ट परामर्श-प्रक्रिया संबन्धी जानकारी से सन्नद्ध हो, और उसके पास इससे संबन्धित प्रपत्र उपलब्ध हों। अपेक्षित प्रश्नों के समाधान हेतु उन्हें अग्रिम कार्यवाही के लिए मुख्यालय को अग्रसारित करे।

4. विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया प्रकोष्ठ परिसरीय सूचना कार्यालय से प्राप्त प्रश्न संबन्धी प्रस्ताव स्वीकार करे अथवा प्रकोष्ठ सीधे भी प्रश्न स्वीकार कर सकता है।

5. कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया प्रकोष्ठ अन्य शैक्षिक संस्थानों, नागरिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं से सम्पर्क करके सम्भूयकारिता प्रस्ताव कर सकता है।

6. परामर्श प्रस्ताव पर विचार करने के समय समिति को निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।

- परामर्श-प्रक्रिया कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की विशेषज्ञता का सदुपयोग व विस्तार होना चाहिए।
- परामर्श-प्रक्रिया तथा सहभागिता विश्वविद्यालय की निर्धारित दृष्टि व अभियान भावना वक्तव्यों व सदिच्छा के विरुद्ध न हो।
- परामर्श-प्रक्रिया तथा सहभागिता विश्वविद्यालय के लिये आर्थिक या विधिक व्यवधान उत्पन्न करने वाली न हो।

7. यदि कुलपति को आभाष हो परामर्श प्रक्रिया का प्रस्ताव विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के हित में है तो वे समिति की संस्तुतियों के साथ परामर्श प्रक्रिया प्रस्ताव के परिमार्जन हेतु विश्वविद्यालय के विधि अनुभाग को तथा परिमार्जन पश्चात् विद्या परिषद् को प्रेषित कर सकते हैं।

8. कुलपति सभी परामर्श प्रक्रिया सेवाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

9. परामर्श प्रक्रिया उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और साथ ही उनसे प्रतिवेदन भी अपेक्षित होना चाहिए।

10. परामर्श प्रक्रिया पर विद्यविद्यालय का अधिकार होगा।

प्राप्त शुल्क राशि विभाजन

1. प्राप्त राशि का 10% विश्वविद्यालय को देय होगा।
2. 30% उपकरण (छाया प्रति, सूक्ष्मदर्शी, लेन्स, लेखनी, कागज आदि) की व्यवस्था के निमित्त ज्योतिष विभाग को देय होगा।
3. शेष भाग का विभाजन परामर्शदाता आचार्य/आचार्यों में होगा।

विश्वविद्यालय	परामर्शदाता (आचार्य)	विभाग
10%	60%	30%

परामर्शशुल्क का निर्धारण समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा। शुल्क विवरण हेतु पञ्जी निर्मित की जाएगी, जिसमें उक्त विवरण संलग्न होगा। प्रति मास शुल्क प्रतिवेदन के साथ विश्वविद्यालय तथा विभाग का अंश विश्वविद्यालय खाते में जमा कराया जाएगा। समय-समय पर इसी पञ्जी के अनुसार विभाग अपने 30% अंश से उपकरण क्रयण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्ताव प्रस्तुत कर राशि का उपयोग सुनिश्चित कर सकेगा।

11. विश्वविद्यालय अधिकारियों की पूर्वानुमति से परामर्श प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों को, जहां भी आवश्यक हो, कार्य सम्पूर्ति के लिए बाह्य स्रोतों से विशेषज्ञता अथवा कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत होना चाहिए।

12 परामर्श-प्रक्रिया में संलग्न होने वाले विश्वविद्यालय कर्मियों को प्रदत कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक ड्यूटी लीव दी जानी चाहिए, यदि उससे उनका विश्वविद्यालयीय कार्य बाधित न होता हो।

कुलसचिव